## [न्या]यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प दूदू

[श]िविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

वाद संख्या: 50/2015

रज्जु दिनांक: 08/06/2015

निर्णय दिनांक : 04/07/2016

1. धन्नी पत्नि रामनाथ
2. रंगलाल पुत्र रामनाथ
3. लाली पत्नि मंगल
4. सरदार पुत्र मंगल
5. खेमा पुत्र मंगल
6. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ
7. कौशल्या पुत्री रामनाथ

समस्त जातियानः गुर्जर, निवासीगणः जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——वादीगण

**बनाम**

1. रामकरण पुत्र रामनाथ, जाति गुर्जर, निवासीः जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

**वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थितः

श्री भंवरलाल जैन एडवोकेट

श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट

श्री नानूराम धाभाई एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर



Scanned with CamScanner

श्री मगन लाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रति. सं. 1

निर्णय दिनांक 04/07/2016

## —: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 3.46 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में स्व. भोलू पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी: जडावता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिमसें वादिया संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 7 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे है तथा इसी अनुसार इर्ज होना चाहिये। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है।

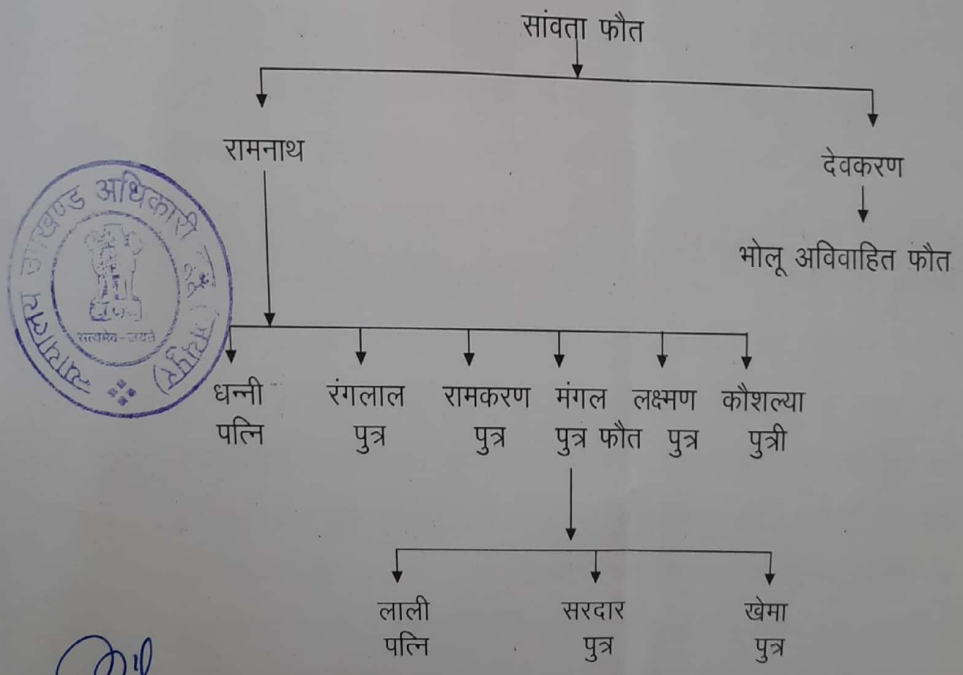


उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर



Scanned with CamScanner

उपरोक्त सिजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पत्ति है। मुताबिक सिजरा अनुसार पक्षकारान का पूर्वज सांवता रहा है जिसके दो पुत्र रामनाथ व देवकरण हुये, देवकरण के एक मात्र पुत्र भोलू हुआ जो अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है तथा रामनाथ के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वारिशान है चूंकि भोलू नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिशान नहीं है इसलिये कानूनन स्व. भोलू पुत्र देवकरण के नाम दर्ज विवादित आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है जब तक भोलू जीवित रहा अपनी आराजीयात पर काबिज काश्त रहा भोलू के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामनाथ पुत्र सांवता विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर लगान जमा कराते रहे, रामनाथ के स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में विवादित आराजीयात पर वादिया संख्या 1, 1/6 हिस्से पर, वादी संख्या 2, 1/6 हिस्से पर, वादी संख्या 3 लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर, वादी संख्या 6, 1/6 हिस्से पर, वादीया संख्या 7, 1/6 हिस्से पर एवं प्रतिवादी संख्या 1, 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि एक बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जो अपने आपको गलत रूप से स्व. भोलू का दत्तक पुत्र बताकर विवादित आराजीयात में स्व. भोलू का विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने हक में खुलवाकर वादीगण को उनके हक व हिस्से से महरूम रखते हुये बेदखल करना चाहता है जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्व. भोलू ने कभी भी अपने जीवनकाल में गोद नहीं लिया न ही गोद की किसी प्रकार की रस्म सम्पन्न हुयी, मात्र विवादित आराजीयात को अकेले ही हडप करने की गरज से आने आपको स्व. भोलू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है। दिनांक 13/05/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 अजनबी व्यक्तियो के साथ वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर आया तथा वादग्रस्त आराजी दिखाने लगा जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजीयात का स्व. भोलू की विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने हक में खुलवाकर विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर तुम्हे बेदखल किया जावेगा जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर



Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में नहीं की जा सकेगी। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढेगी वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो जावेगे जिसको न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है इसलिये वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 के यहां कोई दस्तावेज पेश होने पर तस्दीक नहीं करने हेतु व प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई राहत नहीं चाही है।

वादीगण ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात जो स्व. भोलू पुत्र देवकरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें वादिया संख्या 1 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 6 को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 7 को 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र में वादीगण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी उत्पन्न न स्वयं करे, न अन्य से करावे तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करे तथा न ही आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दूदू को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 27.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मगन लाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.10.2015 को वकील वादी ने पी.डब्ल्यू–1 रंगलाल पुत्र रामनाथ, पी.डब्ल्यू–2 नारायण पुत्र भूरा, पी.डब्ल्यू–3 श्रवण पुत्र सुखाराम, पी. डब्ल्यू–4 रामनारायण पुत्र डगलाराम, पी.डब्ल्यू–5 देवकरण पुत्र चन्दाराम के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर



Scanned with CamScanner

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबालिया जवाबदावा के माध्यम से वादी के समस्त कथनो को स्वीकार करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, पी.डब्ल्यू–1 रंगलाल पुत्र रामनाथ, पी.डब्ल्यू–2 नारायण पुत्र भूरा, पी.डब्ल्यू–3 श्रवण पुत्र सुखाराम, पी.डब्ल्यू–4 रामनारायण पुत्र डगलाराम, पी.डब्ल्यू–5 देवकरण पुत्र चन्दाराम के शपथ पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 का इकबालिया जवाबदावा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 63 रकबा 3.46 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर की आराजीयात भोलू पुत्र देवकरण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में वर्णित सिंजरा अनुसार भोलू अविवाहित ही फौत हो चुका है जिसके कोई जायन्दा वारिस नहीं है।

चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही भोलू के सगे भाई रामनाथ के वंशज होने से वारिस है इनके अलावा भोलू का कोई वारिस नहीं है इस कारण वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 63 रकबा 3.46 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर की आराजीयात में वादिया संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 7 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 63 रकबा 3.46 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर की आराजीयात में वादिया संख्या 1 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 को 1/6 हिस्सा, वादीया संख्या 7 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 को

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला-जयपुर



Scanned with CamScanner

1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट दूदू में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) न्यायालय — सत्यमेव जयते)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर



Scanned with CamScanner

# डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर कैम्प: पी. पी.

बइजलास श्री कुलदीप कुमार, चौहान, आर.ए.एस.

1. रामकरण पुत्र रामनाथ, जाति गुर्जर, नि. [illegible] 1. छोटा पुत्र रामनाथ 2. [illegible] पुत्र रामनाथ 3. लाला पुत्र [illegible] बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार 2. उपखण्ड अधि., तहसील दूदू [illegible]

मुकदमा नं. 50/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भंवरलाल जैन, श्री दिनेश कुमार जैन एडवोकेट

मिनजानिब मुद्दई श्री मानसिंह राणा, एडवोकेट

व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ख.नं. 63 रकबा 3.46 हे० व ख.नं. 94 रकबा 0.33 हे० कुल कित्ता 02 कुल रकबा 3.79 हे० वाके ग्राम पड़ासोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर को आराजीयात में वादिया क्र. 1 को 1/6 हिस्सा, वादी क्र. 2 को *

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

आज बतारीख व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 07 2016

जारी किया गया।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) सत्यमेव जयते

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, ...

Scanned with CamScanner

ग्रा. हरसोर 5. रचना पुत्री नेता, 6. ललिता पुत्री रामनाथ,
7. कौशल्या पुत्री रामनाथ, समस्त जाति- गुर्जर नि० जयपुर,
तह० दूदू, जिला- जयपुर

वादीगण

* 1/6 हिस्सा, वादी क्रं. 3 लगा० 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, वादी क्रं. 6 को 1/6 हिस्सा, वादीया क्रं. 7 को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रं. 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) राजस्थान
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर